

कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
१७ न्यूबेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्या: कै० १०१५१६/विकास/२०२०-२१ दिनांक: १७, सितम्बर, २०२०

कार्यालय ज्ञाप

निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद शाहजहाँपुर द्वारा सिंगल बड चिप (Single bud chip method) एवं सामान्य (Normal method) तरीके से गन्ने की बुवाई हेतु उत्पादन लागत तथा दोनों विधियों के तुलनात्मक विश्लेषण के उपरान्त स्पष्ट किया गया है कि:-

१. सामान्य विधि की तुलना में सिंगल बड चिप में अधिक अंकुरण होने के कारण अल्प मात्रा में उपलब्ध नवीन स्वीकृत किस्मों के बीज सम्बद्धन हेतु सिंगल बड चिप अधिक उपयुक्त है।
२. सामान्य विधि द्वारा की गयी गन्ने की बुवाई की अपेक्षा सिंगल बड चिप विधि में ब्यौत अधिक होता है।
३. बड चिप द्वारा विकसित पौधों से बावग एवं पेड़ी गन्ने में रिक्त स्थानों की पूर्ति (गैप फिलिंग) सुगमता पूर्वक की जा सकती है।
४. बड चिप द्वारा विकसित पौधे से विलम्ब से बुवाई की दशा में तैयार सेटलिंग से रोपाई करके देर से बुवाई में होने वाली गन्ना उपज में कमी को रोका जा सकता है।
५. जलप्लावित क्षेत्रों में जहाँ गन्ना समय से बुवाई सम्भव नहीं है पूर्व विकसित सेटलिंग की रोपाई की जा सकती है।
६. बड चिप का उपयोग सीड मल्टीप्लीकेशन, डिमांस्ट्रेशन, गैप फिलिंग, लेट प्लाटिंग एवं जलप्लावित क्षेत्रों हेतु अधिक उपयुक्त है।

उपरोक्त बिन्दुओं के साथ-साथ निम्न सावधानियाँ भी आवश्यक हैं:-

- (क) परम्परागत विधि के अपेक्षा बड चिप विधि में गन्ना उत्पादन हेतु अधिक देख-रेख की आवश्यकता है।
- (ख) सेटलिंग की रोपाई के उपरान्त मृत्युदर कम करने हेतु रोपाई के तुरन्त बाद एक सिंचाई तथा तीन-चार दिन के अन्तराल पर दो सिंचाई अतिरिक्त करना अनिवार्य है।
- (ग) रोपाई के 15 एवं 30 दिन बाद दो बार थोड़ा-थोड़ा यूरिया का भुरकाव (स्पून फीडिंग) करना आवश्यक है।

(घ) रोपाई के बाद सिंचाई अधिक होने के कारण 2-3 माह तक खरपतवार नियंत्रण खुरपी से 2-3 बार किया जाना आवश्यक है जिससे कूड़ में मिट्टी न गिरे, अन्यथा गन्ने की ब्यात प्रभावित होने के कारण गन्ना उपज में कमी आती है।

7. निष्कर्षतः बड़ चिप विधि का उपयोग सीड मल्टीप्लीकेशन, डिमांस्ट्रेंशन, गैंप फिलिंग, लेट प्लांटिंग एवं जलप्लावित क्षेत्रों तक सीमित रखना उपयुक्त होगा।
कृपया तदनुसार शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करें।


कृष्ण
10941 क्ष.
17/09/2020


(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त
गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.

पृष्ठांकन संख्या: / तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. समस्त उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।


(आर. पी. यादव)
अपर गन्ना आयुक्त (विकास)